मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 448/2019

1. श्योकरण पुत्र श्री चेतनराम उर्फ चेतराम जाति सुथार निवासी चक 18 एस.पी.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. शांन्ति पुत्री चेतनराम उर्फ चेतराम पत्नी हीरालाल जाति सुथार निवासी चक 18 एस.पी.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
3. धन्नी पुत्री चेतनराम उर्फ चेतराम पत्नी रणजीत जाति सुथार निवासी चक केरेवाला सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

——वादीगण

बनाम

1. बीरबल पुत्र श्री चेतनराम उर्फ चेतराम जाति सुथार निवासी चक 18 एस.पी.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

वादीगण की ओर से श्री संजय चाण्डक अधिवक्ता, प्रतिवादी राजपैरोकार आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, वाद पत्र में वादीगण द्वारा प्रतिवादी के हक में दस्तावेज दस्तवरदारी दिनाक 21/12/2010 को वोइड दस्तावेज होने की घोषणा चाही गई है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत दस्तावेज पंजीकृत दस्तावेज है जिसे वाइड करने का अधिकार क्षेत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है। वादी संबंधित न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। वाद वादी क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 23-12-2024 ...... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.23 10:35:59 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा